



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन 1942 (श0)
(सं0 पटना 644) पटना, रविवार, 27 सितम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2020

अधिसूचना सं० बी1-3-98/2020-25—तिरहुत स्नातक एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-155/बिहार-वि०प०/2020(1) दिनांक 26.09.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार साहु,

संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 दिनांक 26 सितम्बर, 2020/

आश्विन 04, 1942 (शक)

सं० 155/बिहार-वि०प०/2020(1): लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित, समय समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 155/बिहार-वि०प०/2001(1), दिनांक 23 अक्टूबर, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में

- (i) 'I-स्नातक निर्वाचन क्षेत्र' शीर्षक के अंतर्गत
क्रम संख्या 4-तिरहुत स्नातक के सम्मुख स्तम्भ संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त प्रविष्टियाँ
'6-संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर' जोड़ी जाएँगी, एवम्
- (ii) 'II-शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र' शीर्षक के अंतर्गत
क्रम संख्या 4-तिरहुत शिक्षक के सम्मुख स्तम्भ संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के अतिरिक्त प्रविष्टियाँ
'6-संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर' जोड़ी जाएँगी।

आदेश से,

सुमन कुमार दास,
सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001. Dated: 26th September, 2020/Asvina 04, 1942 (Saka)

No.155/BR-LC/2020 (1): - In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission of India hereby makes the following amendments in its Notification No.155/BR-LC/2001 (1), dated 23rd October, 2001 as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officer:-

In the Table appended to the said Notification -

- (i) **Under the heading 'I-GRADUATES' CONSTITUENCIES**
Against Sl. No. 4-Tirhut Graduates', in addition to the existing entries in column 2, the entries namely, "**6-Joint Commissioner-Cum-Regional Transport Authority, Tirhut Division, Muzaffarpur**" shall be added; and
- (ii) **Under the heading 'II-TEACHERS' CONSTITUENCIES**
Against Sl. No. 4-Tirhut Teachers', in addition to the existing entries in column 2, the entries namely, "**6-Joint Commissioner -Cum- Regional Transport Authority, Tirhut Division, Muzaffarpur**" shall be added

By order,

SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 644-571+50-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>